कार्यालय नगर पालिका परिषद गाजीपुर

पत्रांक 319 /23– निविदा सूचना/न0पा0

दिनांक ...10...15

निविदा सूचना

(अति अल्पकालीन)

राज्य वित आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य के दृष्टिकोण नगर पालिका परिषद गाजीपुर के पंजीकृत ठेकेदारों को सुचित किया जाता है कि निम्न कार्य की सीलबन्द निविदा दिनांक 05.10.2015 को समय 12:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक नगर पालिका परिषद गाजीपुर में आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन दिनांक05.10.2015 को समय 3:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का बिक्रय दिनांक 05.10.2015 को 10:00 बजे से अपराहन 12:00 बजे तक नोट कमांक 2 पर स्थित स्थानो पर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निर्माण कार्य की 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक का जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के नाम से बंधक रहेगा निविदा के साथ संलग्न करना होगा। उक्त निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदा तथा अपूर्ण एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद गाजीपुर में निहित होगा।

क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	जमानत की धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क की धनराशि + 4 प्रतिशत वैट	कार्यावधि
1	आर0आर0 इण्टर नेशनल स्कूल झून्नूलाल चौराहा (मल्लू की दुकान) मोड़ तक सड़क का निर्माण	18.016	1.802	1800+4 प्रतिशत वैट	11अक्टूबर 2015

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गाजीपुर

कमशः –2

नोट-

1- यह निविदा जिला मुख्यालय के वेबसाइड www.ghazipur.nic.in पर देखी व पढ़ी जा सकती है।

2- शासनादेश संख्या- 609/नौ-9-2007-249 जा/96 दिनांक- 26-02-07 के क्रम में पाँच लाख के ऊपर की निविदा की बिक्री एवं टेण्डर बाक्स में डालने की कार्यवाही चार स्थानों- कार्यालय नगर पालिका परिषद,गाजीपुर, कार्यालय- उपजिलाधिकारी सदर, गाजीपुर, कार्यालय- प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, गाजीपुर एवं कार्यालय-जिलाधिकारी, गाजीपुर में की जायेगी एवं पाँच लाख के नीचे की निविदा की बिक्री एवं निविदा डालने एवं खोलने का कार्य नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में किया जायेगा।

3- पाँच लाख के ऊपर की निविदा जिलाधिकारी महोदय या उनके द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष खोली जायेगी।

4- निविदादाताओं को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनाएँ निर्धारित प्रोफार्मा (टी-4, टी-5, टी-6) जमा करना अनिवार्य होगा। (कालम-14 प्रोफार्मा शपथ पत्र रू0-100/- (एक सौ रूपया) के स्टाम्प पेपर पर एवं पासपोर्ट साईज का निविदादाता अपना फोटो नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए) में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5- निविदा की धरोधर धनराशि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न N.S.C./F.D.R. के नम्बर के अंकन के साथ-साथ धनराशि का भी अंकन करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफे पर कार्य की संख्या का अंकन करना अनिवार्य होगा।

7- ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगे-संबंधी (**First Blood Relation & Spouses**) जैसा कि सदस्य, अध्यक्ष/प्रशासक के पद पर आसीन होगें, लेखाकार, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी, जो नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में कार्यरत है, को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशा में किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर फर्म/ठेकेदार को उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9- निविदादातों को निविदा कम दर पर प्राप्त होने की दशा में शासनादेश सं0- 622/23-12-2012-2आडिट/2008 टी0सी0-2 दिनांक-08-06-2012 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10- शेष अन्य नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में निर्माण विभाग में देखी या पढ़ी जा सकती है।

जयप्रकाश सिंह यादव
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।

अरूण कुमार सिंह (P.C.S.)
प्रशासक
नगर पालिका परिषद,
गाजीपुर।